अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए करार – प्रारूप

है तथा आगे ''	यह करार दिनांकमाहसन्सन्को श्रीवा आत्मजआयु. हे निवासी(जिसे आगे 'विक्रेता' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार हेवर्ष निवासीआयुवर्ष निवासी(जिसे क्रेता'' कहा गया है) एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है के बीच शहर का नाम) में निष्पादित किया गया ।
•	उक्त प्रथम पक्षकार की निम्नानुसार अचल सम्पत्तिरोड़ पर स्थित है, जिसका पूर्ण रूपेण स्वामी होकर उसका अधिपत्यधारी है :- (संपत्ति का विस्तृत विवरण)
	और चूंकि विक्रेता को कौटुम्बिक आवश्यकता के लिए रूपयेकी आवश्यकता है, जिससे अपनी उक्त अचल सम्पत्ति का विक्रय करने का इच्छुक है एवं उक्त क्रेता भी इसे खरीदने लिए है । अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है :— कि उक्त विक्रेता के अनुरोध पर उक्त क्रेता उससे उक्त अचल संपत्ति को, जिसका मूल्य
(2)	
(3)	कि विक्रेता दिनांक को रिजस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित होकर क्रेता के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित कर कार्यालय में रिजस्ट्री के लिए प्रस्तुत करेगा। सम्पत्ति का कब्जा क्रेता को विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात् ही सौपा जाएगा।
(4)	कि विक्रेता इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं करेगा और विक्रेता द्वारा इसमें किसी प्रकार की अनियिमतता किए जाने पर क्रेता उससे क्षतिपूर्ति स्वरूप रू. पाने का अधिकारी होगा ।
(5)	कि क्रेता भी करार की शर्तों के अनुसार तिथि पर रूपये लेकर रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थित होगा । क्रेता द्वारा इसमें किसी प्रकार चूक होने पर विक्रेता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त करार को विखण्डित कर दे एवं क्रेता से क्षतिपूर्ति स्वरूप रू. प्राप्त करे ।
(6)	कि उक्त मकान सभी प्रकार के भारों एवं अभिभारों से मुक्त होगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने उसका दायित्व विक्रेता पर होगा ।
(7)	कि रजिस्ट्री एवं विक्रय–विलेख के निष्पादन का सारा व्यय क्रेता वहन करेगा ।
उपर्युक्त	उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष । स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।
	η:—
()	हस्ताक्षर(विक्रेता)
	हस्ताक्षर(क्रेता)